न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या :– 14/2016

1. बलजिन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति मजहबीसिख साकिन गुरू की ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मलकियतसिंह पुत्र श्रीरामसिंह पुत्र प्रितमसिंह जाति मजहबीसिख साकिन गुरू की ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवीरसिंह पुत्र श्रीरामसिंह पुत्र प्रितमसिंह जाति मजहबीसिख साकिन गुरू की ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जसकौर कथित पत्नी श्री प्यारासिंह जाति मजहबीसिख साकिन गुरू की ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रानी कथित पुत्र श्री प्यारासिंह जाति मजहबीसिख साकिन गुरू की ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. बलजिन्द्रसिंह व जसवीरसिंह	अपीलान्ट संख्या 1 व 2
2. सरपंच ग्राम पंचायत मटीली राठान	रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. जसकौर	रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.06.2018

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 381 दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्यारासिंह पुत्र अच्छरसिंह को बतौर नान कलेमेन्ट पर चक 13 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 1 ता 9 व 12/2, 14, 15 में 3.087 हैक्टर रकबा जीवों के आधार पर अलाट किया गया था। वरवक्त अलाटमेन्ट में प्यारासिंह खुद, पत्नि भगवानकौर, रणजीतकौर, तडत्रकी जीतकौर, लड़की अलाटमेन्ट के बाद रणजीतकौर व जीतकौर दोनों का स्वर्गवास हो गया तथा प्यारासिंह व भगवानकौर दोनो जिवित थें। प्यारासिंह का कत्ल हो गया। तथा भगवानकौर अपनें देवर प्रितमसिंह के साथ रहती थी नकल वोटलिस्ट अलाटमेन्ट कार्ड शामिल अपील हाजा है। प्यारासिंह का स्वर्गवास हो गया तथा उसकी पत्नी भगवानकौर का भी स्वर्गवास हो गया जिसका प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं है। तथा प्रीमतसिंह प्यारासिंह का वारिस है। प्रीतमसिंह का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस रामसिंह तथा बलजिन्द्रसिंह है। रामसिंह का स्वर्गवास हो गया जिसका जायज वारिस उसके लड़के मलकियतसिंह, जसवीरसिंह है।

लगातार..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जमीन का कब्जा अपीलान्ट के पास काफी समय से चला आ रहा है। अब रेस्पोडेन्ट द्वारा फर्जी पत्नी बनकर बिना अपीलान्ट को सुने ही उपरोक्त रकबा का इन्तकाल अपनें नाम से करवा लिया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पटवरी हल्का से हुई अब अपीलान्ट जमाबन्दी नकल लेनें गया तो पता चला कि रेस्पोडेन्टान गलत तरिके से रकबा अपनें नाम करवा लिया है दिनांक 23.05.2016 को नकल मिली तो पता चलते ही इन्तकाल नकल की दरखवास्त दी आज रोज इन्तकाल मिलते ही न्यायालय में अपील पेश कर रहा है, जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर पेश है :–

1. हुकम अदालत मातहत का गैर कानूनी है, जो दौबारा गौर मिसल के है, नकल फैसला शामिल अपील हाजा है।
2. प्यारासिंह पुत्र अच्छरसिंह को भारत सरकार द्वारा चक 13 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 44 में 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा जीवों के आधार पर आवंटन है जिसमें उसकी पत्नी भगवानकौर है जिसका नाम अलाटमेन्ट तथा वोटर लिस्ट में दर्ज है जसकौर उसकी पत्नी नहीं है यह तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय नें इस पर गोर नहीं किया इसलिये भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करनें योग्य है।
3. प्यारासिंह का कत्ल हो गया था उसकी पत्नी भगवानकौर ही उसकी वारिस थी तथा उसकी दो लड़कीयां अविवाहित उनका स्वर्गवास हो गया इसलिये प्रथम श्रेणी के वारिस ना होनें के कारण प्यारासिंह का भाई प्रीतमसिंह वारिस है प्रीतमसिंह के अपीलान्ट वारिस है यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय नें इस पर गौर नहीं किया इसलिये भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करनें योग्य है।
4. पूर्व में जसकौर नें उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया तथा जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया इसलिये भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करनें योग्य है।
5. आदेश पारित करनें से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया जब कि जमीन का कब्जा अपीलान्ट के पास है बिना अपीलान्ट को सुने ही आदेश पारित करके कानूनी भूल की है इसलिये अदालत मातहत का आदेश निरस्त करनें योग्य है।
6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करनें से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिये आदेश की जानकारी नहीं हुई दिनांक 23.05.2016 को जमाबन्दी नकल पटवारी हल्का से ली जो अपीलान्ट को इन्तकाल का पता चला पता चलते ही नकल दरखवास्त दी नकल मिलते ही बिना देरी की अपील पेश की जा रही है जो इल्म से अन्दर मियाद है।

अतः अपील पेश कर अर्ज है, कि अपील स्वीकार करके अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की और से श्री मोहनलाल छाबड़ा वकील द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये गये अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किये गये।

न्याय आपके द्वारा 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 मटीली राठान में आयोजित राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट संख्या 1 व 3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए ग्राम पंचायत के रिकार्ड का मौके पर अवलोकन किया गया उभयपक्ष को सुना गया।

लगातार..... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि नामान्तरकरण 381 दिनांक 20.04.2016 विरास्तन दर्ज किये जानें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार कर त्रुटि नही पाये जानें पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जानें से अपील अपीलान्ट वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिंनाक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 मटीली राठान में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर